न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी श्री ऋषभ मंडल (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 (पूर्व नाम ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) स्थानीय इकाई ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान रजिस्टर्ड कार्यालय बी विंग, द्वितीय मंजिल, अहूरा सेन्टर, महाकाली केव्ज रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सजीव कुमार सिंह पुत्र श्री रामसागर सिंह, जाति राजपूत, हाल निवासी अल्ट्राटेक सीमेन्ट आवासीय परिसर, ग्राम मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज0)

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राज0

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांक

1. उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप बंसल द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 80/1.48 वाके मोजा कुजोता तहसील कोटपूतली में स्थित है। जिसे आगे प्रकरण में आराजी मुतवादिया से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर खातेदार काबिज है तथा प्रार्थी ने उक्त भूमि का दिनांक 17.11.2022 को तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पटवारी हल्का कुजोता से सीमाज्ञान करवा लिया है एवं प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र सुनने व तैय करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रार्थना पत्र नियत कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 80/1.48 वाके मोजा कुजोता तहसील कोटपूतली मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 17.11.2022 पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पडोसी खातेदारान से खेत की डोल (सीमा) इत्यादि को लेकर विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थी के भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करे।
4. हमने उभय पक्ष के बहस के तथ्यों पर गौर किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रश्नागत भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 80/1.48 है, वाके ग्राम कुजोता तहसील कोटपूतली का पूर्व में दिनांक 17.11.2022 को सीमाज्ञान हो चुका है, जो फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रश्नागत भूमि के आसपास लगती भूमि के पडोसी खातेदारन से खेत की डोल एवं सीमा इत्यादि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुजोता तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नम्बर 80 / 1.48 है0 का पूर्व में हुए दिनांक 17.11.2022 को सीमाज्ञान अनुसार पडोसी खातेदारों को सुना जाकर उनकी मौजूदगी में उक्त आराजी की पत्थरगढी की जावे। ताकि उनके मध्य कोई विवाद उत्पन्न नही हो। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हो।

6. निर्णय आज दिनांक 21.4.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)